Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में पंचायत समिति सदस्य एवं उसका दलाल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *30 अप्रेल, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज रामगंजमंडी, कोटा में कार्यवाही करते हुये नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 13, ग्राम सांतलखेड़ी, पं.स. खैराबाद, जिला कोटा एवं उसके दलाल आनन्द कुमार प्रजापति (पत्रकार–प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी लाईसेंसी कम्पोजिट शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलने देने एवं शराब की दुकान में आने वाले लोगों के फोटो विडियो नहीं बनाने की एवज में नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 13, ग्राम सांतलखेड़ी, पं.स. खैराबाद, जिला कोटा एवं उसके दलाल आनन्द कुमार प्रजापति (पत्रकार–प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा कोटा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल आनन्द कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी वार्ड नं0 5, सातलखेड़ी, थाना सुकेत, पं.स. खैराबाद, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (पत्रकार–प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 10 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में नयन कुमार अखण्ड पुत्र स्व. श्री रमेशचंद निवासी वार्ड नं0 19, सातलखेड़ी, थाना सुकेत, पं.स. खैराबाद, तहसील रामगंजमंड़ी, जिला कोटा हाल पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 13, ग्राम सांतलखेड़ी, पं.स. खैराबाद, जिला कोटा को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।